निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक 1948 (श0)

(सं0 पटना 1327) पटना शुक्रवार 30 अक्तूबर 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

29 अक्तूबर 2026

एस० ओ० 239 दिनांक 30 अक्तूबर 2026—मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 26 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ यह अवधारित करते हैं कि उक्त संहिता की धारा 26 की उप धारा (1) और उप धारा (3) के अधीन भुगतेय बोनस की संगणना के प्रयोजन के लिए, जहां धारा 26 की उप धारा (1) के अधीन बोनस के लिए पात्र किसी कर्मचारी को भुगतेय बोनस राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरों पर संगणित किया जायेगा।

2. यह अधिसूचना 21 नवंबर, 2025 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

(सं० 01/Code on Wages-10-05/2026–232/श्र०सं०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

29 अक्तूबर 2026

एस० ओ० 240 एस० ओ० 239 दिनांक 30 अक्तूबर 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/Code on Wages-10-05/2026–233/श्र०सं०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 29th October 2026

SO 239 date 30th October 2026—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 26 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019), the Governor of Bihar hereby determines, for the purposes of the said Code, that for the purpose of calculation of bonus payable under sub-sections (1) and (3) of Section 26 of the said Code, where an employee eligible for bonus under sub-section (1) of Section 26 is payable bonus, the bonus shall be calculated at the monthly rates of minimum wages notified by the State Government from time to time.

This notification shall be deemed to have come into force from on the 21 November, 2025.

(No. **01/Code on Wages-10-05/2026**–232 *//L.R.)*
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1327-571+200-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in